न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2015 G.C.M.S. No: 2015/00110 दर्ज दिनांकः 11.08.2015

अपीलार्थीगणः

1 बिशनसिंह पुत्र चमनसिंह जाति राजपूत निवासी मौक
2 बलवंतसिंह पुत्र चमनसिंह जाति राजपूत निवासी मौक
3 शैतानसिंह पुत्र लूम्बसिंह जाति राजपूत निवासी मौक
4 डूंगरसिह पुत्र लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
5. केशरसिंह पुत्र लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
6 भगवतसिंह पुत्र लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
7 जितु कंवर पुत्री लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
8. उगम कंवर पूत्री लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
9. नजर कंवर पुत्री लूम्बसिंह जाति राजपूत नाबालिग
10. रसाल कंवर बेवा लूम्बसिंह जी जाति राजपूत जातियान राजपूत निवासीगण मौंक बहेसियत खुद व बहेसियम कर्ता खानदान नाबालिग वादी संख्या 4 से 9 व वादी संख्या 10 का वादी संख्या 3 बहेसियत कर्ता खानदान संयुक्त हिन्दु परिवार।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. नरेगा अधिकारी पंचायत समिति जालोर ।
2. तहसीलदार भूमिधारी जालोर ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 राजस्व वाद संख्या 11/2012 न्यायालय उपखंड अधिकारी जालोर

उपस्थित–

1. श्री मधुसूदन व्यास विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान विशन सिंह बनाम नरेगा अधिकारी जालोर में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 2.10 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आया हुआ है। इसके पास खसरा नम्बर 162 तथा 161 आया हुआ है, जो नक्शे में बताया हुआ है। यह रास्ता खसरा नम्बर 161 तथा 162 अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 133 के लोर–लोर माठ के किनारे चलता है। जब नरेगा का काम चल रहा था तब अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 133 में कोई रास्ता नहीं होने पर भी नरेगा के अधिकारी ने जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश की और मौके पर खेत में जबरदस्ती

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मुरड आदि डालकर खेत को खराब करने की कोशिश भी की, रोकने पर भी नहीं माने तथा जबरदस्ती करने लगे, तब अपीलान्ट द्वारा दावा किया गया। यह दावा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के जवाब में विचाराधीन था, परन्तु राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार में कोटा पूरा करने के नाम पर तथा अपने आप को होशियार बताने के लिये उपखण्ड अधिकारी जालोर ने नियम विरूद्ध बिना किसी राजीनामें के अपीलान्ट के वाद को मेरिट पर खारिज कर दिया। जबकि अभियान में ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के लिये जो मार्गदर्शिका राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने जारी की हैं, उसने निम्न प्रकरणों को लोक अदालतों में रखे जाने योग्य माना गया है। न्यायालय में विचाराधीन प्रत्येक प्रकरण का गहन अध्ययन करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकने वाले प्रकरणों को चिह्नित कर लेंवे। लोक अदालत में मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के प्रकरण रखे जा सकते हैं:–

- नामान्तरणकरण संबंधी मामले ।
- भूमि विभाजन संबंधी मामले ।
- भू–प्रबंध संबंधित इन्द्राज दुरूस्ती के मामले
- धारा 136 राजस्व से संबंधित मामले
- धारा 183 (ए) 183 (बी), 183 (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी मामले,
- स्टाम्प एक्ट के मामले
- राज्य सरकार एवं निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन विवादित मामले
- सीमा व रास्ता संबंधी मामले
- एक ही कुटुम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रकरण रखें जा सकते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस मार्गदर्शक सिद्धान्त के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण को बिना सुने जो निर्णय पारित किया है, उसमें सुनवाई का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नरेगा अधिकारी को अथवा शासन को किसी भी काश्तकार की खातेदारी जमीन में से सडक निकालने का अधिकार नहीं है और नोटिस उस बात पर दिया जाता है, जब कोई अधिकारी किसी कानून द्वारा प्राप्त अधिकार का उपयोग कर रहा हों। इस प्रकरण में नरेगा अधिकारी अपीलान्ट की जमीन पर अतिक्रमण करके जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से रास्ता बनाना चाहता था, जो गलत था और उसके विरूद्ध दावे के लिये नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की अपील सुनी गई, पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट क्रमशः नरेगा अधिकारी जालोर एवं तहसीलदार जालोर के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर शाश्वत निषेधाज्ञा की मांग की गई। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 133 में नरेगा कार्य के तहत सड़क निर्माण को रूकवाने व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की।

1. अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 के अवनलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार जरिये तहसीलदार एवं नरेगा अधिकारी (विकास अधिकारी) को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना दावा पेश करने, कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद ग्राम पंचायत को न नोटिस दिया जाना एवं न ही पक्षकार बनाने के कारण पुनः वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ अपीलांट वादीगण का वाद खारिज किया गया।

2. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी में नरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए नरेगा अधिकारी व तहसीलदार के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। यह सुस्पष्ट है कि नरेगा योजना के तहत संपादित कार्य सरकारी स्तर पर सक्षम स्वीकृति उपरांत संबंधित सरकारी कार्यकारी एजेंसी के मार्फत सरकारी पदाधिकारी द्वारा शासकीय पदीय हैसियत में संपादित किया जाता है। अतः संपादित कार्य की विधिसंगतता या विधिविरूद्धता पर टिप्पणी किए बिना यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा शासकीय पदाधिकारियों के विरूद्ध शासकीय कार्य निवर्हन से आहत होकर वादपत्र प्रस्तुत किया था।

3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 (1) में यह आज्ञापक प्रावधान है कि लोक पदाधिकारी द्वारा पदीय हैसियत में किए गए कार्य के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जा सकता, जब तक लिखित सूचना नहीं दे दी जाए, केवल अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष प्राप्त करने के लिए धारा 80 (2) के अंतर्गत न्यायालय की ईजाजत से धारा 80 (1) की सूचना दिए बिना वाद संस्थित किया जा सकता है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा न तो प्रतिवादीगण जोकि शासकीय पदाधिकारी है, को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई सूचना दी हैं एवं न ही प्रकरण की अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर बिना सूचना दिए न्यायालय से वादपत्र संस्थित किए जाने की अनुमति मांगी हैं।

5. अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा वादीगण अपीलांट को पुनः वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार के तहत वादपत्र खारिज किया है, में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान विशन सिंह बनाम नरेगा अधिकारी जालोर में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली